

सर्वोच्च न्यायालय की हीरक जयंती

प्रलिस के लयल:

[भारत का सर्वोच्च न्यायालय](#), [भारतीय संवधान](#), डजलल न्यायालय 2.0, [भारत सरकार अधनलयम, 1935](#), [भारत का मुख्य न्यायाधीश](#), सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नयुकुत के लयल पातुरता मानदंड, न्यायाधीशों को हटाना, सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता

मेन्स के लयल:

वरतमान में सर्वोच्च न्यायालय से संबंधतल प्रमुख मुददे, कॉलेजलयम प्रणाली, NJAC

[सुरत: पी.आई.बी.](#)

चरचा में कयों?

हाल ही में [भारत के सर्वोच्च न्यायालय \(SC\)](#) ने दललली के सर्वोच्च न्यायालय सभागार में अपना **हीरक जयंती (Diamond Jubilee)** समारोह (75वीं वर्षगांठ) आयोजतल कयल। यह [भारतीय संवधान](#) की 75वीं वर्षगांठ के साथ भी मेल खाला है।

- इस कार्यक्रम में न्यायकल पहुँच तथा पारदर्शतल बढ़ाने के उददेश्य से कई **नागरकल-केंद्रतल सूचना तथा प्रौद्योगकल पहलों** का शुभारंभ कयल गयल।

आयोजन की मुख्य वशैषताएँ कयल हैं?

- कार्यक्रम के एक भाग के रूप में डजललल पहल जैसे **डजललल सुपरीम कुरट रपुलरट (Digi SCR)** तथा **डजललल कुरट 2.0** और **सर्वोच्च न्यायालय की एक नई वेबसाइट** का शुभारंभ कयल गयल।
 - डजललल सुपरीम कुरट रपुलरट्स (Digi SCR) पहल का उददेश्य पारदर्शतल तथा पहुँच को बढ़ावा देते हुए **वर्ष 1950** के बाद से सर्वोच्च न्यायालय के नरलणयों की रपुलरट तक नशुलक, इलेक्टुरॉनकल पहुँच प्रदान करना है।
 - डजललल कुरट 2.0, कृतरमल बुद्धमतलता के माध्यम से न्यायालय की कारुरवाई का वासतवकल समय प्रतलखन करने में सहायता करेगा जो कुशल रकुरॉर्ड-कीपगल और न्यायकल प्रकरयलओं की दशल में एक महतुत्वपूरण सफलता प्रदर्शतल करता है।
 - सर्वोच्च न्यायालय की नई वेबसाइट अब **द्वभाषी प्रारूप (अंगुरेज़ी व हलदी)** में उपलब्ध है जो न्यायकल जानकाली तक नरलबाध पहुँच के लयल एक उपयोगकरुतता-अनुकूल इंटरफेस प्रदान करतल है।
- वशैष रूप से दूरवरुती कषेतरुओं** में न्याय प्रदान करने की पहुँच बढ़ाने के उददेश्य के साथ सर्वोच्च न्यायालय की पहुँच वसलतारतल करने के प्रयासों पर जुर देयल गयल।
- सर्वोच्च न्यायालय कॉम्प्लेक्स के वसलतार** हेतु नवलश की ढुषणा की गई जो न्यायकल दकषता बढ़ाने की दशल में एक महतुत्वपूरण कदम है।

सर्वोच्च न्यायालय से संबंधतल प्रमुख बदुल कयल हैं?

- सुथापना:** भारत के **संपुरभ लुकतंतरातुमक गणराजु** बनने के दु दनल पश्चात, **28 जनवरी 1950** को सर्वोच्च न्यायालय की सुथापना की गई।
 - इसने **भारत सरकार अधनलयम, 1935** के तहत सुथापतल **भारत के संघीय न्यायालय** का सुथान लयल।
 - इसने अपील की सर्वोच्च न्यायालय के रूप में **बुरटलश प्रुवल कालंसलल को** भी प्रतसुथापतल कयल जसलके परणलमस्वरूप सर्वोच्च न्यायालय का कषेतराधकलर पुरववरुती के संघीय न्यायालय से अधकल है।
- सांवधानकल उपबंध:** संवधान के भाग V में **अनुच्छेद 124 से 147** सर्वोच्च न्यायालय के संगठन, स्वतंत्रता, कषेतराधकलर, शकतलयों, प्रकरयलओं आदल से संबंधतल हैं।
 - इसके अतरकलतल इन्हें संसद द्वारा वनलयमतल कयल जाला है।
- वरतमान संरचना:** भारत के सर्वोच्च न्यायालय में भारत के **मुख्य न्यायाधीश सहतल 34 अन्य न्यायाधीश** शामिल होते हैं जनकल नयुकुतल भारत के राष्ट्रपतल द्वारा की जालतल है।

- वर्ष 1950 के मूल संविधान में एक मुख्य न्यायाधीश तथा 7 उप-न्यायाधीशों के साथ एक सर्वोच्च न्यायालय की परिकल्पना की गई थी तथा न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने का कार्य संसद कषेत्राधिकार के तहत आता है।
- **नयुक्ति:** सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति द्वारा **भारत के मुख्य न्यायाधीश की नयुक्ति** की जाती है।
 - अन्य न्यायाधीशों की नयुक्ति राष्ट्रपति द्वारा सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और अतिरिक्त न्यायाधीशों से परामर्श के बाद की जाती है।
 - भारत के मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त किसी भी अन्य न्यायाधीश की नयुक्ति के लिये **भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श अनिवार्य** है।
- **नयुक्ति के लिये पात्रता मानदंड:** सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नयुक्ति होने के लिये एक व्यक्ति को भारतीय नागरिक होना चाहिये।
 - इसके अतिरिक्त उन्हें **कम-से-कम पाँच वर्ष के लिये उच्च न्यायालय का न्यायाधीश** अथवा **कम-से-कम 10 वर्ष के लिये उच्च न्यायालय का अधिवक्ता** होना चाहिये अथवा वह **राष्ट्रपति की राय में एक पारंगत वधिवित्ता** होना चाहिये।
 - हालाँकि संविधान ने **सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नयुक्ति के लिये न्यूनतम आयु निर्धारित नहीं** की है।
 - **65 वर्ष की आयु पूरी होने पर वे सेवानिवृत्त हो जाते हैं।**
 - सेवानिवृत्त के बाद **न्यायाधीशों को भारत में किसी भी न्यायालय में या किसी भी प्राधिकारी के समक्ष अभ्यास करने से प्रतिबंधित** किया जाता है।
- **न्यायाधीशों को हटाना:** राष्ट्रपति के आदेश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उनके पद से हटाया जा सकता है।
 - राष्ट्रपति द्वारा **न्यायाधीश को हटाने का आदेश** तभी जारी किया सकता है जब उसे हटाने के लिये **उसी सत्र में संसद का अभिभाषण** राष्ट्रपति के सामने प्रस्तुत किया गया हो।
 - अभिभाषण को सिद्धि दुरव्यवहार या अक्षमता के आधार पर, संसद के **प्रत्येक सदन के विशेष बहुमत** द्वारा समर्थित होना चाहिये अर्थात् **उपस्थिति और मतदान करने वाले दो-तहाई सदस्यों के बहुमत** से।
- **कार्यवाही और वनियमन की भाषा:** सर्वोच्च न्यायालय में कार्यवाही विशेष रूप से अंग्रेज़ी में आयोजित की जाती है।
 - **सर्वोच्च न्यायालय के नियम, 1966** तथा **सर्वोच्च न्यायालय के नियम 2013** को सर्वोच्च न्यायालय की कार्यप्रणाली और प्रक्रिया को नियंत्रित करने के लिये **संविधान के अनुच्छेद 145** के तहत निर्मित किया गया है।
- **सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता:**
 - **नशिचति सेवा शर्तें:** संसद न्यायाधीशों के वेतन, भत्तों एवं अन्य लाभों का निर्धारण करती है, जिससे सेवा शर्तों में स्थिरता सुनिश्चित होती है जब तक कि **वित्तीय आपातकाल** के दौरान इसमें बदलाव नहीं किया जाता है।
 - वेतन, भत्ते और प्रशासनिक लागतें **समेकित नधि** पर भारित होती हैं, जिससे उन्हें संसद द्वारा गैर-मतदान योग्य बना दिया जाता है, परिणामस्वरूप वित्तीय स्वतंत्रता सुनिश्चित होती है।
 - **आचरण प्रतिक्रिया:** संविधान के अनुच्छेद 121 के तहत संसद के सदस्यों को सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के आचरण पर चर्चा करने से प्रतिबंधित किया गया है।
 - **अवमानना की शक्ति:** सर्वोच्च न्यायालय के पास अपने नरिण्यों एवं अधिकार के प्रति सम्मान सुनिश्चित करते हुए अवमानना को दंडित करने का अधिकार है। (अनुच्छेद 129)
 - **कर्मचारी नयुक्ति स्वायत्तता:** भारत के मुख्य न्यायाधीश को कार्यकारी हस्तक्षेप से मुक्त होकर सर्वोच्च न्यायालय के कर्मचारियों को नयुक्ति करने और उनकी सेवा शर्तें निर्धारित करने की स्वतंत्रता है।
 - **कषेत्राधिकार संरक्षण:** संसद सर्वोच्च न्यायालय के कषेत्राधिकार को कम नहीं कर सकती, हालाँकि वह इसे वृद्धि कर सकती है।
 - **कार्यपालिका से पृथक्करण:** संविधान सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक्करण का आदेश देता है, कार्यान्वयन पर न्यायिक मामलों में कार्यकारी प्रभाव को समाप्त कर देता है (अनुच्छेद 50)।
- **सर्वोच्च न्यायालय का महत्त्व:**
 - **संविधान का संरक्षक:** सर्वोच्च न्यायालय **अनुच्छेद 32** के तहत रटि जारी करके संविधान की रक्षा करता है, उसकी सर्वोच्चता सुनिश्चित करता है और साथ ही **मौलिक अधिकारों** की रक्षा करता है।
 - **वधिक शासन को बनाए रखना:** यह कानूनी विवादों के **अंतिम मध्यस्थ के रूप में कार्य** करता है, कानूनों की व्याख्या करता है और **न्यायिक समीक्षा** की शक्ति के माध्यम से उनके उचित अनुप्रयोग को सुनिश्चित करता है।
 - **सामाजिक न्याय और मानवाधिकार:** न्यायालय सामाजिक न्याय को बढ़ावा देने, हाशिये पर पड़े समुदायों की रक्षा करने तथा मानवाधिकारों को बनाए रखने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
 - **कार्यकारी अतिरिक्त की नगिरानी:** यह सुनिश्चित करता है कि कार्यकारी शाखा कानून की सीमा के भीतर कार्य करती है।

सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित प्रमुख मुद्दे क्या हैं?

- **मामलों का लंबित होना:** सर्वोच्च न्यायालय में **मामलों का लंबित होना** इसकी चल रही समस्याओं में से एक है। कार्यकुशलता में सुधार के प्रयासों के बावजूद, बड़ी संख्या में मामलों के कारण न्यायालय के संसाधनों पर दबाव पड़ रहा है।



//

- **न्यायिक सक्रियता बनाम न्यायिक संयम:** न्यायापालिका की उचित भूमिका को लेकर बहस चल रही है, जिसमें इस बात पर चर्चा चल रही है कि क्या सर्वोच्च न्यायालय को सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को संबोधित करने में अधिक सक्रिय होना चाहिये अथवा संयम बरतना चाहिये या हस्तक्षेप को सीमित करना चाहिये।
- **न्यायाधीशों की नयुक्तता की चर्चाएँ:** न्यायिक नयुक्तियों की प्रक्रिया, विशेषकर कॉलेजियम प्रणाली की भूमिका, विवाद का विषय रही है। नयुक्त प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिये **राष्ट्रीय न्यायिक नयुक्तता आयोग** जैसे सुधारों पर चर्चा की गई है।
- **प्रौद्योगिकी एवं न्याय तक पहुँच:** हालाँकि न्याय तक पहुँच में सुधार के लिये ई-फाइलिंग एवं वरचुअल सुनवाई जैसी पहल लागू की गई है, लेकिन विशेष रूप से प्रौद्योगिकी तक सीमित पहुँच वाले हाशिये पर रहने वाले समुदायों के लिये न्यायसंगत पहुँच सुनिश्चित करने में चुनौतियाँ बनी हुई हैं।
- **सर्वोच्च न्यायालय में महिलाओं का अपर्याप्त प्रतिनिधित्व:** हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय के कुल न्यायाधीशों में से केवल तीन महिलाएँ हैं। यह कानून व्यवस्था में महिलाओं के विषय प्रतिनिधित्व को दर्शाता है।

आगे की राह

- **सर्वोच्च न्यायालय को विभाजित करना:** भारत के 10वें **वधि आयोग** ने सर्वोच्च न्यायालय को दो प्रभागों में विभाजित करने की सफारिश की जिसमें संवैधानिक प्रभाग और कानूनी प्रभाग शामिल हैं।
 - प्रस्ताव के अनुसार संवैधानिक प्रभाग द्वारा केवल संवैधानिक कानून से संबंधित मामलों की सुनवाई की जाएगी।
 - इसी प्रकार 11वें **वधि आयोग** द्वारा वर्ष 1988 में दोहराया कि सर्वोच्च न्यायालय को खंडों में विभाजित करने से न्याय तक पहुँच में वृद्धि होगी और वादकारियों का शुल्क भी कम होगा।
 - इसके अतिरिक्त 229वीं **वधि आयोग की रिपोर्ट, 2009** में गैर-संवैधानिक मुद्दों की सुनवाई के लिये दिल्ली, चेन्नई या हैदराबाद, कोलकाता तथा मुंबई में चार क्षेत्रीय पीठें स्थापित करने की सफारिश की गई थी।
- **उन्नत न्यायिक व्यवस्था: मलमिथ समिति** ने लंबित मामलों के बैकलॉग को संबोधित करने के लिये छुट्टियों के समय को 21 दिनों तक कम करने की सफारिश करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के कार्य दिवसों को 206 दिनों तक बढ़ाने का प्रस्ताव दिया।
 - इसी तरह वर्ष 2009 के **वधि आयोग** ने अपनी 230वीं रिपोर्ट में मामलों के लंबित मामलों को कम करने के लिये न्यायापालिका के सभी स्तरों पर न्यायालयों की छुट्टियों को 10-15 दिनों तक कम करने की सफारिश की थी।
- **NJAC की स्थापना पर फरि से विचार करना:** इसकी संवैधानिकता सुनिश्चित करने के लिये सुरक्षा उपायों को शामिल करने हेतु **NJAC** (राष्ट्रीय न्यायिक आयोग वधियक) **अधिनियम** में संशोधन किया जा सकता है, साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिये पुनर्गठित किया जा सकता है कि बहुमत का नयितरण न्यायापालिका के पास बना रहे।
- **न्यायापालिका में लैंगिक विविधता बढ़ाना:** महिला न्यायाधीशों का एक निश्चित प्रतिशत लागू करने से भारत में लिंग-समावेशी न्यायिक प्रणाली के विकास को बढ़ावा मिलेगा।
 - सितंबर 2027 में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में न्यायमूर्ति **बी.वी. नागरत्ना** की आगामी नयुक्तता, न्यायापालिका के भीतर लैंगिक समानता प्राप्त करने की दशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????????:

प्रश्न. भारतीय न्यायापालिका के संदर्भ में नमिनलखित कथनों पर विचार कीजिये: (2021)

1. भारत के राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय सेवानवित्त कसिी न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर बैठने और कार्य करने हेतु बुलाया जा सकता है।
2. भारत में कसिी भी उच्च न्यायालय के अपने नरिणय के पुनर्वलोकन की शक्ति प्रापत है जैसा क सर्वोच्च न्यायालय के पास है।

उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?

- (a) केवल 1
- (b) केवल 2
- (c) 1 और 2 दोनों
- (d) न तो 1 और न ही 2

उत्तर: (c)

प्रश्न. 26 जनवरी, 1950 को भारत की वास्तविक सांविधानिक स्थिति क्या थी? (2021)

- (a) लोकतंत्रात्मक गणराज्य
- (b) संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य
- (c) संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न पंथनरिपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य
- (d) संपूर्ण प्रभुत्व-संपन्न समाजवादी पंथनरिपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य

उत्तर: (b)

??????:

प्रश्न. भारत में उच्चतर न्यायपालिका में न्यायाधीशों की नियुक्तिके संदर्भ में 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014' पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (2017)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/diamond-jubilee-of-the-supreme-court>

